RAJASTHAN NURSING COUNCIL
JAIPUR

B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923

क्रमांकः– आर.एन.सी / 2022 / रजि. / 1179

दिनांकः 28/1/2022

अति–आवश्यक

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय / निजी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान नर्सिंग कौसिंल में नवीन पंजीयन के संबंध में।

राजस्थान नर्सिंग कौसिंल में नवीन पंजीयन संबंधी प्रकरणों की जॉच में प्रायः यह देखा जाता है कि नर्सिंग संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करते समय छात्रों के दस्तावेजो की पूर्ण जॉच किए बिना ही रजिस्ट्रेशन हेतु छात्रों के आवेदन ऑनलाइन प्रेषित कर दिये जाते है। जिसके कारण कमी पूर्तियों में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः समस्त नर्सिंग संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि सबंधित अभ्यार्थियों के आनॅलाइन पोर्टल पर आवेदन कौसिल को प्रेषित करने से पूर्व कृपया निम्नांकित बिन्दुओं की पालना करना सुनिश्चित किया जावे।

1. रजिस्ट्रेशन के लिए **केवल ऑनलाइन आवेदन** ही प्रेषित करे।
2. अभ्यार्थियों के समस्त दस्तावेजो की आवश्यक रूप से संस्था प्रभारी द्वारा **स्वयं के स्तर पर सत्यापन** करने के उपरान्त ही प्रेषित किया जावें।
3. अभ्यार्थियों के **मूल दस्तावेजों** की **स्पष्ट स्केन प्रति** ही प्रेषित की जावें।
4. **अभ्यार्थियों के नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त होने के उपरान्त ही संबंधित शैक्षणिक सत्र में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार** ही आवेदन संस्था प्रधान द्वारा प्रेषित किये जावें।
5. संस्था प्रधान द्वारा किसी भी स्थिति में **अभ्यार्थियों का दुबारा आवेदन प्रेषित नही किया जावें।**
6. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जिस अभ्यर्थियों का आवेदन आप द्वारा कौसिल में प्रेषित किया जा रहा है वह उसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त हो किसी भी स्थिति में अन्य संस्था का आवेदन प्रेषित ना करें।

उक्त बिन्दुओं की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Sd/-
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर